

# यूपी विधानमंडल सभा: अधिलेश ने बेरोजगारी पर उठाए सवाल

**सीएम योगी ने कसा तंज, सपाइयों की सोच तो बदली**



लखनऊ। यूपी में विधानमंडल का मासूम सत्र चल रहा है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन रहा। सदन में नेता प्रतिपक्ष अधिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए और बेरोजगारी के मुद्दे पर धोरा। अधिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में बेरोजगारी की दर तो तोते हैं पर रोजगार कितने दिए इस पर कभी बात नहीं करते हैं। जिस पर जवाब देते हुए यूपी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सुना हो रहा है। चर्चित सफाई सुधरें प्रतेक से सम्मान हो रही है। आज सवालों की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से घटकर तीन से चार फीसदी हो गई है।

एक अच्छा सवाल में अधिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री योगी बताएं कि प्रदेश में 2022 तक 15 वर्ष की आयु वाले के बच्चों की संख्या में कितनी बढ़त हुई है और सरकार अनेक बाले समय में इन बच्चों के लिए बाबा कर रही है? इस पर मुख्यमंत्री योगी ने जवाब दिया कि वे बच्चे को जन्मदिन में इन बच्चों की सोच में इन्हाँना तो बदलाव हुआ कि अब वो जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जिसे नियंत्रित करने के लिए

(अपराधों का शमन और विचारणों को उपशमन (संशोधन) अध्यादेश 2023)

- उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश - 2023

- उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश - 2023

- कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश - 2023 (अध्यादेश संख्या - 6 से 11)

- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास संस्थान अध्यादेश - 2023

- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक (द्वितीय संशोधन) - 2023

- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक - 2023

- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोध

## संपादकीय विध्वंस के विरुद्ध अदालत की रोक

हरियाणा के नूँह में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा पर हुई पत्थरबाजी के बाद प्रशासन ने वहां अवैध निर्माणों और सरकारी जमीन पर अतिक्रम को हटाना शुरू कर दिया था।

बताया जा रहा था कि इन्हीं इमारतों से पत्थर बरसाए गए थे। अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वतः संसान लेते हुए वहां इमारतों को बुलडोजर द्वारा नष्ट कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि अब तक सैंतीस जगहों पर साढ़े सतावन एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। नूँह में अब तक एक सौ बास्त स्थानीय और पांच सौ इक्यानवे अस्थानी निर्माण निरापेक्ष जमीन पर चुके हैं। प्रशासन अब भी अपने फैसले पर अंदिग है कि मैंवात इलाके में सारे अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है और उन्हें निरापेक्ष जमीन। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जा सकता। उसे कानून ध्वस्त करने का सरकार के पास अधिकार है। मगर इस तरह बुलडोजर चलाने को लेकर सरकार इसलिए उन्हें लगे हैं कि प्रशासन को किसी अवैध निर्माण के बारे में तभी जाकरी वर्तों मिलती है, जब वहां दंगा भड़क उठता है। यह कोई बड़ा अपराध हो जाता है। हालांकि दूसरी सरकारों की तरह हरियाणा का भी सारांश करता है कि जिन लोगों ने नूँह में अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य किए थे, उन्हें पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था। मगर फिर भी यह तक गले नहीं उतरता कि उन्हें द्वारा ने किंतु बुलडोजर चला देखा था। अवैध कब्जा करने के लिए बुलडोजर तभी वर्तों चले, जब धार्मिक यात्रा पर पत्थर बरसे और हरियाणा के अलग-अलग शहरों में सांप्रदायिक तावां बढ़ गया। आखिर इने बड़े भूखंड पर इने सारे अवैध निर्माण रातोंरात तो हो नहीं गए होंगे। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि इससे पहले वे निर्माण प्रशासन की नजर में नहीं रहे होंगे। यह भी छिपी बात नहीं है कि सरकार भूखंडों पर ज्यादातर कब्जे सरकारी अमले की मिलिभगत से होते हैं। ऐसे में अपने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभी चल रहे विध्वंस पर रोक लगाई है, तो उसके सवालों का ज्यादा देना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। अवैध निर्माण के लिए ऐसे अवैध निर्माणों में कई शिकायतें ऐसी आईं, जिनमें उन भवतों पर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं हुआ था। मध्यप्रदेश में तो एक शिकायतकर्ता ने कहा कि उस मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था। इसलिए भी सरकारों की बुलडोजर प्रथा पर सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे दंगों में किसी पर अपराध सिद्ध होने से पहले ही सरकारें अगर उनके मकान ध्वस्त कर देती हैं, तो इसे न्याय नहीं कहा जा सकता। लोग बड़ी मशक्कत और हस्तरत से घर बनाते हैं, उन घरों में पूरे परिवार का सपना पलता है, उन्हें बुलडोजर चला कर बेरह कर देना किसी कल्पानारी सरकार का कदम नहीं माना जा सकता। अवैध निर्माण हटाने के भी नियम-कायदे हैं, उनका पालन होना ही चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की रोक सरकार के लिए एक सबक है।

## लाकर के बदलाव ही



नोंक-झोंक और बहस से ।  
नहीं है चलता काम ॥  
कर्मठता से प्रतिपल ।  
है मिलता मुकाम ॥  
लाकर के बदलाव ही ।  
है चल पाता तीर ॥  
करना होगा इंतजार ।  
क्यों बनना अधीर ?  
गतिविधियां जो चल रहीं ।  
तय मिलना है फल ॥  
बस केवल विरोध से ।  
नहीं चमकता कल ॥  
हुई कहां है गलती ।  
होगा रखना ध्यान ॥  
जनमानस के हाथ में ।  
है सबका सम्मान ॥  
—कृष्णन्द्र राय

## बंगाल व राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों

## को लेकर खुद कटघरे में आ गये हैं विपक्षी दल

योगेन्द्र योगी

महिला अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलों के बयान की मांग को लेकर संसद ठार करने वाले विपक्षी दलों को महिला अत्याचारों और बंगाल में भेदभाव को लेकर कटघरे में आ गए हैं। अब लाला अत्याचारों को लेकर राजस्थान चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से दंगे फैलाने वालों, दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन चल पड़ा है कि उनके मकान-दुकान का बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में धम्यप्रदेश सरकार ने भी आपराधिक तत्वों पर नकल करने का यह तरीका अपना लिया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर











